

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 जनवरी 2016—पौष 21, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. डी-15-47-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 अक्टूबर 1971 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, सैलाना के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मंडी उपमंडी प्रांगण घोषित करती है :—

स्थान

ग्राम पंचायत बाजना (ग्राम ईमलीपाड़ाकला), तहसील बाजना, जिला रतलाम के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.000 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (3)
1	298	1.150
2	299	0.170
3	302	0.260
4	314	0.420
		योग : 2.000

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—सर्वे क्रमांक 315 की भूमि.

दक्षिण में—सर्वे क्रमांक 296 एवं सर्वे क्रमांक 300 की भूमि.

पूर्व में—सर्वे क्रमांक 313 की भूमि.

पश्चिम में—सर्वे क्रमांक 179 शासकीय भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. डी-15-47-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 11<sup>th</sup> January 2016

No. D-15-47-2015-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following area's including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Seilana has been established by this department's Notification even dated 3<sup>rd</sup> October 1971 shall be sub-market yard namely :—

PLACE

An area of 2.000 Hectore's land of below mentioned Khasra number at Bazna Gram Panchayat in Tehsil Bazna of District Ratlam :—

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (In Hector) (3)
1	298	1.150
2	299	0.170
3	302	0.260
4	314	0.420
Total :		2.000

BOUNDED BY

**On the North by**—Land of survey No. 315.

**On the South by**—Land of survey No. 315 and survey No. 300.

**On the East by**—Land of survey No. 315, 313

**On the West by**—Govt. Land of survey No. 179.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY GUPTA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. डी-15-47-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2016 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण, सैलाना, जिला रतलाम के निम्नलिखित क्षेत्र को उपमंडी क्षेत्र घोषित करती है :—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत बाजना (ग्राम ईमलीपाड़ाकला), तहसील बाजना, जिला रतलाम की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) उपमंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—
  - (1) माण्डलिया, (2) सेरा, (3) हेवडादामा, (4) हेवडाखुर्द, (5) मानपुरा, (6) महुड़ीपाड़ा, (7) मालपुरा, (8) लालपुरा, (9) डाबर, (10) तलाईखेड़ा, (11) रेहटकुआँ, (12) बाजना, (13) सूरजबड़ला, (14) भूरीघाटी, (15) कानवाछावनी, (16) गंगाजलिया, (17) बड़लीपाड़ा, (18) आम्बापाड़ा, (19) धोलपुरा, (20) पोनबट्टा, (21) बरोठी, (22) छावनीभाभर, (23) ईमलीपाड़ाखुर्द, (24) खेरदा, (25) पिपलीपाड़ा, (26) कालियाकुंडली, (27) सालरडोजा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. डी-15-47-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 11<sup>th</sup> January 2016

No. D-15-47-2015-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard *vide* this department's notification even number dated 3<sup>rd</sup> October 1971 the following area of Seilana of district Ratlam shall be sub-market area :—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Bajna (Gram Imalipadakala) Navgon in Tehsil Noavgon of District Chhatarpur.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the sub-market yard namely:—
  - (1) Mandaliya, (2) Sera, (3) Hevdadama, (4) Hevdakhurd, (5) Manpura, (6) Mahudipada, (7) Malpura, (8) Lalpura, (9) Dabar, (10) Talaikheda, (11) Rehatkua, (12) Bazna, (13) Surajbadla, (14) Bhurighati, (15) Kanvachhavni, (16) Gangajaliya, (17) Badlipada, (18) Ambapada, (19) Dholpura, (20) Ponbatta, (21) Barothi, (22) Chhavni bhavar, (23) Imlipadakhurd, (24) Kherda, (25) Piplipada, (26) Kaliyakundli, (27) Salardoja.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY GUPTA, Dy. Secy.